न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16 / 2021 (2021 / 39) वाद पत्र

उनवान

1—गणपतलाल पिता पीरूलाल डांगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—गोवर्धन नाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—धर्मा नाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लक्ष्मण नाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मांगीबाई बेवा खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—बदामी पुत्री खुमनाथ पत्नि गोवर्धन नाथ जोगी नि. भटेवर हाल गोरख्या तहसील करेड़ा
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—05.10.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भटेवर पटवार मण्डल भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राजस्थान) के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 465 रकबा 18 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित थी। जिसमें से वादी ने घर खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से 9 बिस्वा भूमि दिनांक 01.01.2000 को बिल एवज 8,000 /—अक्षरे आठ हजार रूपये में प्रतिवादीगण के पिता एवं पति खुमनाथ पिता जेतानाथ जोगी निवासी नटेवर को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया तथा शेष 9 बिस्वा भूमि वादी के बदस्तुर शेष रही। क्रेता खुमनाथ जोगी को वादी द्वारा विक्रय की गई 9 बिस्वा भूमि के पड़ौस पूर्व में शिवनाथ जी जोगी की भूमि एवं वादी की जमीन, पश्चिम में विक्रेता की भूमि, उत्तर में काननाथ जोगी की भूमि एवं दक्षिण में गोपीनाथ जोगी की भूमि हैं। वादी द्वारा मेरे खातेदारी की उक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 465 रकबा 18 बिस्वा भूमि में से उक्त वर्णित 9 बिस्वा भूमि का बिकाव करने के पश्चात् क्रेता खुमनाथ के नाम पर बिकाव का नामान्तरणकरण संख्या 442 दिनांक 08.01.2002 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर फैसल किया गया, जिसमें बिकाव दस्तावेज के विपरीत व गैर कानूनी तरीके से खरीद शुदा भूमि 9 बिस्वा भूमि का नामान्तरणकरण दर्ज नहीं कर उक्त आराजी संख्या 465 के सम्पूर्ण रकबा 18 बिस्वा का ही बिकाव बताकर नामान्तरण [illegible] किया और उसको फैसल भी करवा दिया। जिससे बिकाव शुदा 9 बिस्वा भूमि [illegible] सम्पूर्ण रकबा 18 बिस्वा भूमि क्रेता खुमनाथ पिता जेतानाथ जोगी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई, जबकि वादी ने उसको केवल मात्र 9 बिस्वा भूमि ही विक्रय की है तथा उसका कब्जा मौके पर सिपुर्द किया है। शेष भूमि का खातेदार वादी है, और आज भी उस पर वादी का कब्जा है। जिससे उक्त नामान्तरणकरण बिकाव दस्तावेज के विरुद्ध अवैध अकृत एवं गैर कानूनी हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:00 IST
Reason: SelfAttested

और शुरू से ही वादी की शेष भूमि के मुकाबले शून्य हैं और कानून की नजर एवं ऐसे नामान्तरणकरण का कोई महत्व नहीं हैं। जिससे उक्त नामान्तरणकरण निरस्त होने योग्य होकर वादी खातेदार काश्तकार हूँ। वादी द्वारा बिकाव की गई भूमि के पड़ौस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी अंकित कर रखे हैं। जिससे मौके पर वादी एवं खुमनाथ के बीच वक्त विक्रय से विभाजन भी हो गया था। तहसील रायपुर का नवीन भू–प्रबन्ध हुआ जिसमें ग्राम भटेवर का भी नवीन बन्दोबस्त किया गया, जिसमें साबिक, आराजी संख्या 465 रकबा 18 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर 1374 रकबा 0.11 हैक्ट एवं 1463 रकबा 0.09 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 0.20 हैक्ट कायम किये गये तथा पटवर मण्डल भीटा के बजाय सरेवड़ी बना दिया गया। व गलत नामान्तरणकरण दर्ज हो जाने से अभी भी खुमनाथ पिता जेतानाथ जोगी के नाम पर दर्ज चली आ रही हैं। मौके पर कब्जे अनुसार आराजी संख्या 1463 रकबा 0.09 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर तन्हा रूप से दर्ज करते हुए आराजी संख्या 1374 रकबा 0.11 है0 भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादी घोषणात्मक डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को कहा तो वह इन्कार हो और धमकी दी कि भूमियां हमारे नाम पर दर्ज है तुम्हे बेदखल कर देगें और भूमियां अन्यत्र स्थानान्तरित कर देंगे जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी की बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1374 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1463 रकबा 0.09 है0 भूमि में से 1/2 हिस्से से वादी का नाम दर्ज करने एवं मौके पर कब्जे अनुसार तन्हा रूप से उक्त वर्णित आराजियात आराजी संख्या 1374 रकबा 0.11 है0 भूमि का वादी को तन्हा खातेदार काश्तकार है तथा आराजी संख्या 1463 रकबा 0.09 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर तन्हा रूप से दर्ज करने की घौषणात्मक डिक्री भी साथ ही फरमाई जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस की फरमाई जावे कि वादग्रसत आराजियात में प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल नही करें न अन्य से करावे तथा वादी के कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नही करें तथा वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 फॉर्मल पक्षकार होने से कोई कार्यवाही नही चाही गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी के पक्ष में डिक्री करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:00 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादी के द्वारा अपने नाम दर्ज साबिक आराजी संख्या 465 रकबा 18 बिस्वा भूमि मे से 9 बिस्वा भूमि श्री खुमनाथ पिता जेता नाथ जाति योगी निवासी भटेवर को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के दिनांक 01.01.2000 को विक्रय की गई एवं शेष 9 बिस्वा भूमि वादी के स्वयं के रखी गई किन्तु वादी के द्वारा विक्रय शुदा भूमि का क्रेता के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण संख्या 442 में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा आराजी संख्या का 465 का सम्पूर्ण रकबा 18 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गई जबकि 1/2 हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर विक्रय की और शेष 9 बिस्वा भूमि विक्रेता खातेदार के रहनी चाहिये थी जो नही रखी गई है। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी संख्या 465 के नवीन खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.11 है0 व आराजी संख्या 1463 रकबा 0.09 है0 भूमि दर्ज की गई मौके पर वादी का कब्जा आराजी संख्या 1374 रकबा 0.11 है0 भूमि पर है व क्रेता का कब्जा नवीन आराजी संख्या 1463 रकबा 0.09 है0 पर होना दर्शाया गया है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नवीन आराजी संख्या 1374 रकबा 0.11 है0 व आराजी संख्या 1463 रकबा 0.09 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता खुमनाथ पिता जेतानाथ के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें से आराजी संख्या 1374 रकबा 0.11 है0 भूमि बिना किसी विधिक आदेश के राजस्व कर्मियो की भूल से दर्ज कर दी गई जिसे पुनः वादी के नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान राजस्व खाता संख्या 30 में अकिंत आराजियात संख्या 1374 रकबा 0.11 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05-10-2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:00 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–16/2021 (2021/39) वाद पत्र

उनवान

1–गणपतलाल पिता पीरूलाल डांगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–गोवर्धन नाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–धर्मा नाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–लक्ष्मण नाथ पिता खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मांगीबाई बेवा खुमनाथ जोगी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–बदामी पुत्री खुमनाथ पत्नि गोवर्धन नाथ जोगी नि. भटेवर हाल गोरख्या तहसील करेड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी के बेरून हल्का आबादी में वर्तमान राजस्व खाता संख्या 30 में अकिंत आराजियात संख्या 1374 रकबा 0.11 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

05.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:00 IST
Reason: SelfAttested